भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. US/1/2017/MHFW3/DEOTHRU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **17.08.2018**

सेवा में

चिकित्सा अधीक्षक,
सफदरजंग हॉस्पिटल,
नई दिल्ली

विषयः श्री उदय सिंह मीणा, जी–44, गली नं. 6, पपरावर रोड़, प्रेम नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2018 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 30.07.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **01 माह** के अदंर भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री उदय सिंह मीना, जी–44, गली नं. 6, पपरावर रोड़, प्रेम नगर, नजफगढ़, नई दिल्ली
2. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003. Ph. 24615012 FAX: 24604689, 24624191
Toll Free: 1800117777 Website: http://ncst.nic.in mail ID assttdir@ncst.nic.in

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- US/1/2017/MHFW1/DEOTH/RU-III)

श्री उदय सिंह मीणा, जी-44, गली नंबर-6, पपरावर रोड, प्रेम नगर, नजफ़गढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मे पदोन्नति मे आरक्षण का लाभ नही देने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	30.07.2018
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री उदय सिंह मीणा, जी-44, गली नंबर-6, पपरावर रोड, प्रेम नगर, नजफ़गढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मे पदोन्नति मे आरक्षण का लाभ नही देने के मामले मे दिनांक 13.06.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 20.06.2017 को एक नोटिस भेजकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सफदरजंग अस्पताल से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा।
3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर मे उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल ने दिनांक 15.07.2017 को पत्र भेजकर मामले मे जानकारी भेजी। उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल के जवाब से अभ्यावेदक को अवगत कराया गया। किन्तु इससे असंतुष्टि व्यक्त करते हुए अभ्यावेदक ने आयोग से पुनः न्याय का निवेदन किया। अभ्यावेदक के निवेदन पर आयोग ने दिनांक 25.07.2018 को एक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

सीटिंग नोटिस भेजकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सफदरजंग अस्पताल को दिनांक 30.07.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।

4. आयोग में चर्चा के लिए श्री आशीष कुमार, उप निदेशक (प्रशासन) तथा श्री आशाराम मीणा, (एओ) उपस्थित हुए।
5. आयोग ने अभ्यावेदक को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक एक्स सर्विसमैन हैं तथा सफदरजंग अस्पताल मे गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। अस्पताल मे एक्स सर्विसमैन हवलदार के चार पद है जिनमे एक पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। पदोन्नति के लिए आधार वर्ष 1987 की सीनियारिटी लिस्ट को माना जाना चाहिए। साथ ही आर के सब्बरवाल के मामले मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पदोन्नति निर्णय की तारीख यानी 1995 से मानी जानी चाहिए। जबकि अस्पताल प्रशासन इसे नही मान रहा और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर पदोन्नति देने मे अनियमितता हो रही है।
6. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा। सफदरजंग अस्पताल के उपस्थित अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि डीओपी & टी के दिनांक 02.07.1997 के ओएम के अनुसार पोस्ट बेस्ड पदोन्नति देनी है। इसके अनुसार हवलदार के 4 पद है, आरक्षण रोस्टर के अनुसार पॉइंट नंबर 7 एससी के लिए आरक्षित है तथा 14 नंबर एसटी के लिए। वर्तमान की रिक्ति, पॉइंट संख्या 11 के लिए है जो अनारक्षित श्रेणी से है। अतः अभ्यावेदक द्वारा की जा रही मांग नियमानुकूल नही है।
7. इस प्रकरण पर दोनों पक्षों को सुनने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा डीओपी & टी के दिनांक 02.07.1997 के ओएम के आधार पर आयोग अभ्यावेदक की मांग नियमानुकूल नही पाता। आयोग का मानना है कि जिस तिथि से डीओपी & टी का ओएम जारी हुआ है पदोन्नति के लिए उसी को आधार माना जाना चाहिए। अतएव आयोग मामले का निस्तारण करते हुए प्रकरण बंद करने की सलाह देता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- US/1/2017/MHFW1/DEOTH/RU-III)

श्री उदय सिंह मीणा, जी-44, गली नंबर-6, पपरावर रोड, प्रेम नगर, नजफ़गढ़, नई दिल्ली के द्वारा सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मे पदोन्नति मे आरक्षण का लाभ नही देने के मामले मे आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.07.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डीसी कटोच, परामर्शक

सफदरजंग अस्पताल के अधिकारी

1. श्री आशीष कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)
2. श्री आशाराम मीणा, (एओ)

अभ्यावेदक

1. श्री उदय सिंह मीणा